राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक –प.4(1)कार्मिक /क–2/अं.प्रं./2006 959 जयपुर दिनांक 26.07.06

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
विशिष्ट शासन सचिव /शासन उपसचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स सहित)
3. सचिवालय के समस्त विभाग /अनुभाग/प्रकोष्ठ ।

परिपत्र

विषय:–राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अर्न्तगत अनुशासनिक कार्यवाहियों में अधिरोपित विभिन्न प्रकार के दण्डों का कार्मिक की पदौन्नति पर प्रभाव।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अर्न्तगत शासनिक कार्यवाहियों में राज्य सरकार के कर्मचारियों /अधिकारियों को दोषी पाये जाने पर लघु अथवा वृहद दण्ड अधिरोपित किये जाते हैं अथवा हानि की वसूली की जाती है जिसका प्रभाव सम्बन्धित राजकर्मी की पदौन्नति पर भी पडता है।

उक्त दण्डों से किसी कार्मिक की पदौन्नति पर क्या प्रभाव होगा इस सम्बन्ध में कोई नियम / आदेश या परिपत्र जारी किया हुआ नही है जिसके अभाव में कई नियुक्ति प्राधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर प्रकरण कार्मिक विभाग को राय / मार्गदर्शन हेतु प्राप्त होते है।अतः भविष्य में पदौन्नतियों पर इन दण्डों का प्रभाव न्यायोचित एवं तर्कसंगत हो, इस हेतु निम्न लिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

पदौन्नति के प्रकरणो में कार्मिक को दिये गये दण्ड का प्रभाव निम्नानुसार होगा :–

क्र. सं.	दण्ड का प्रकार	पदौन्नति पर प्रभाव	टिप्पणी
1.	परिनिन्दा का दण्ड	एक परिनिन्दा के दण्ड हेतु एक बार पदौन्नति से वंचित करना	प्रत्येक प्रकरण मे अलग–अलग प्रभाव अर्थात एक से अधिक प्रकरणों में दण्ड दिया जाता है तो कार्मिक को पदौन्नति से उतनी ही बार वंचित किया जायेगा
2.	असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना	असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने के एक दण्डादेश हेतु एक बार पदौन्नति रोकना	
3.	संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना	एक दण्डादेश से जितनी वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का दण्ड है उतनी ही बार पदौन्नति से वंचित करना	प्रत्येक प्रकरण /आदेश का अलग–अलग प्रभाव।
4.	पदौन्नति रोकने का दण्ड	जितने वर्षो हेतु पदौन्नति रोकी गई है उतने वर्षो तक पदौन्नति से वंचित करना	यदि पदौन्नति रोकने के दण्डादेश में समय का उल्लेख नही हो तो सात वर्षो तक पदौन्नति रोकना
5.	लापरवाही, किसी विधि, नियम,आदेश भंग करने से सरकार को हुई आर्थिक हानि की वसूली	हानि वसूली के प्रत्येक प्रकरण हेतु एक बार पदौन्नति से वंचित करना	
6.	निम्नतर सेवा /ग्रेड/पद पर /निम्नतर काल वेतन मान (Time Scale) में / काल वेतन मान (Time Scale) में नीचे के क्रम पर अवनत कर देना।	दण्डादेश की दिनांक से अगले सात वर्षो तक पदौन्नति से वंचित करना।	

क्रमशः–2

इस सम्बन्ध में यह भी लेख है कि भविष्य में किसी कार्मिक की आवश्यक अस्थाई पदोन्नति या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के प्रकरण में किसी कार्मिक को दिये गये उक्त दण्डों के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया कि पालना किया जाना नितान्त आवश्यक है :-

1. दण्डादेशों के प्रभाव हेतु रिक्ति वर्ष के पुर्व के 7 वर्षों का रिकार्ड देखा जायेगा और इन सात वर्षों में सबसे पुराने दण्डादेश का प्रभाव सबसे पहले तथा उसके बाद के दण्डादेश का प्रभाव बाद में लागु होगा।

2. उक्त दिशा-निर्देश इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से ही प्रभावी माने जायेंगे। इन दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में पूर्व में निस्तारित प्रकरण को पुनः नही खोला जायेगा तथा पूर्व वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति यदि इस परिपत्र के जारी होने के बाद आयोजित होती है, तो उसमें भी पूर्व की व्यवस्था ही लागू होगी।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों से निवेदन है कि कृपया भविष्य में होने वाली पदोन्नतियों में उक्त दिशा-निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करायी जावें।

हस्ताक्षर
(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

आदेश क्र.-233

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
कार्यालय मुख्य लेखाधिकारी

क्र. अ.वि.वि.नि.लि./ मु.ले.अ./ व. ले.अ. (नियम)/पत्र(25) पत्रांक 959 दिनांक 29.6.2017

कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र की प्रति प्रेषित कर लेख है कि तत्कालीन विद्युत मण्डल के कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियमों-1962 के अन्तर्गत अधिरोपित विभिन्न प्रकार के दण्डों का कर्मचारियों की पदोन्नति पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में उक्त परिपत्र में वर्णित समस्त दिशा निर्देश लागू होंगे।

1. मुख्य अभियंता (पवस/वाणिज्यिक), अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर/झुन्झुनु/ उदयपुर।
2. संभागीय मुख्य अभियंता (अजमेर संभाग), अ.वि.वि.नि.लि.अजमेर।
3. उपमुख्य अभियंता (आर.पी.पी.सी), अ.वि.वि.नि.लि. हीरापुरा जयपुर।
4. सचिव (प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
5. अधीक्षण अभियंता (पवस/योजना /एम. एम. /टी. डब्लु./एम. एण्ड पी./सिविल),अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर/भीलवाडा/नागौर/उदयपुर/चित्तौड गढ़/बांसवाडा /राजसमंद /झुन्झुनु /सीकर।
6. कम्पनी सचिव, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
7. तकनीकी सहायक (प्रबन्ध निदेशक)एवं उपभंडार नियंत्रक अ.वि.वि.नि.लि.अजमेर।
8. उप निदेशक कार्मिक, (अजमेर/उदयपुर/झुन्झुनु संभाग) अ.वि.वि.नि.लि.अजमेर/उदयपुर/झुन्झुनु।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी,( ), अ.वि.वि.नि.लि.
10. लेखाधिकारी ( ), अ.वि.वि.नि.लि.
11. कार्मिक अधिकारी (पवस /निगम मुख्यालय) अ.वि.वि.नि.लि.
12. जनसम्पर्क अधिकारी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
13. सहायक लेखाधिकारी (सी.पी.सी.), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
14. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर/जयपुर।
15. कार्यालय आदेश पत्रावली।

आज्ञानुसार
(एस. एम. माथुर)
मुख्य लेखाधिकारी